Email : buland.chhattisgarh@gmail.com www.bulandchhattisgarh.com RNI NO. CHHHIN / 2008 / 26943

बुलंद छत्तीसगढ़

खबर की तह तक

'बुलंदी का 17वां वर्ष'

संपादक - मनोज पाण्डेय मो. 9754750321

वर्ष : 17 | अंक : 09 | प्रति मंगलवार | राजधानी से प्रकाशित | रायपुर 18 फरवरी से 24 फरवरी 2025 | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 10/-

मामला जलसंसाधन विभाग का : प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित विशेष अंक...

सीएम साय सरकार के राज में चढ़ोत्री केदार नाथ के दरबार में

मंत्री बंगले से लेकर प्रमुख अभियंता कार्यालय तक नियम बदलवाने के बदले में कांग्रेसी ठेकेदार द्वारा की गई लक्ष्मी जी की मूसलाधार बारिश

रायपुर । भ्रष्ट आचरण करने वालों द्वारा किए जाने वाले नियम विरुद्ध कार्यों के बदले लिया जाने वाला शिष्टाचार सामग्री जैसे नगद धन, अचल संपति , सोना-चाँदी, जेवरात, नग-नगीनों का भंडार, शराब-शबाब इत्यादि के नजराने को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है...। जल संसाधन के 'ठे'केदार एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाये जा रहे भ्रष्टचार के खिलाफ जीरों टारलेंस जमकर उडाई जा रही धज्जियां।

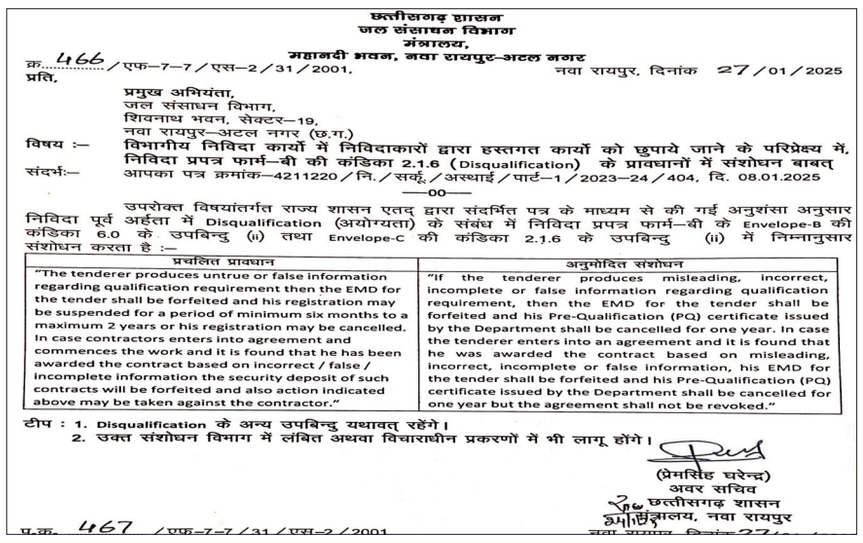

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 466 /एफ-7-7/एस-2/31/2001, नवा रायपुर, दिनांक 27/01/2025

प्रति,
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
नवा रायपुर-अटल नगर (छ.ग.)

विषय :- विभागीय निविदा कार्यो में निविदाकारों द्वारा हस्तगत कार्यो को छुपाये जाने के परिप्रेक्ष्य में, निविदा प्रपत्र फार्म-बी की कंडिका 2.1.6 (Disqualification) के प्रावधानों में संशोधन बाबत्

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक-4211220/नि./सर्कू./अस्थाई/पार्ट-1/2023-24/404, दि. 08.01.2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से की गई अनुशंसा अनुसार निविदा पूर्व अर्हता में Disqualification (अयोग्यता) के संबंध में निविदा प्रपत्र फार्म-बी के Envelope-B की कंडिका 6.0 के उपबिन्दु (ii) तथा Envelope-C की कंडिका 2.1.6 के उपबिन्दु (ii) में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

प्रचलित प्रावधान	अनुमोदित संशोधन
"The tenderer produces untrue or false information regarding qualification requirement then the EMD for the tender shall be forfeited and his registration may be suspended for a period of minimum six months to a maximum 2 years or his registration may be cancelled. In case contractors enters into agreement and commences the work and it is found that he has been awarded the contract based on incorrect / false / incomplete information the security deposit of such contracts will be forfeited and also action indicated above may be taken against the contractor."	"If the tenderer produces misleading, incorrect, incomplete or false information regarding qualification requirement, then the EMD for the tender shall be forfeited and his Pre-Qualification (PQ) certificate issued by the Department shall be cancelled for one year. In case the tenderer enters into an agreement and it is found that he was awarded the contract based on misleading, incorrect, incomplete or false information, his EMD for the tender shall be forfeited and his Pre-Qualification (PQ) certificate issued by the Department shall be cancelled for one year but the agreement shall not be revoked."

टीप : 1. Disqualification के अन्य उपबिन्दु यथावत् रहेंगे।
2. उक्त संशोधन विभाग में लंबित अथवा विचाराधीन प्रकरणों में भी लागू होंगे।

(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नवा रायपुर

पृ.क्र. 467 /एफ-7-7/31/एस-2/2001

कमाल का दिव्यांग

71 % आलोक अग्रवाल

रायपुर। ये दुनिया है दोस्तों... महफिल में सलाम और अकेले में बढ़नाम करती है... किन्तु जल संसाधन विभाग में आलोक अग्रवाल नामक शख्य तो महफिल में ही, बदनाम है... यह भी सच है कि कुछ नामाकुल किस्म की प्रजातियाँ उसे इसलिए सलाम ठोकती है... क्योंकि वे उसकी दिव्यांगता के साथ उसकी बुद्धि का लोहा इसलिए मानते है क्योंकि वह विभाग का बहुत बड़ा इंतजाम अली है...। उपअभियंता के पद पर भर्ती हुआ यह शख्स दिव्यांगता का प्रमाण देकर 2000 में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत हुआ और तत्काल प्रभाव से प्रभारी कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग खारंग जिला बिलासपुर में निरंतर 9 वर्षों तक लगातार पदस्थ रहा...। इस बीच उनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के कई आरोपों की शिकायत के आधार पर आर्थिक अपराध एवं अन्वेषक ब्यूरो रायपुर (सीईओडब्ल्यू) के द्वारा छापामार की कार्यवाही में अनुपातहीन संपति बरामद कर विशेष अदालत मैं ट्रायल हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जो कि वर्तमान में प्रगतिरत है... तदुपरांत प्रवर्तन निदेशालय नई दिल्ली द्वारा धनशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इन्हें न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारागार बिलासपुर में रखा गया... वर्ष 2019 में माननीय न्यायालय द्वारा अध्यधिक 71 प्रतिशत विकलांगता के आधार पर जमानत दे दी गई चर्चा तो यह भी है कि श्रृंग कंस्ट्रक्शन वर्तमान में जल संसाधन विभाग मुख्यालय में प्रमुख अमियता के रहर्मो-करम पर अति संवेदन शील स्थान पर वित्तिय मामलों के निष्पादन का दायित्व सौंपा गया है...। इतना ही नहीं नियम विरुद्ध वर्ष 2023 में इन्हें नि:शक्तजन (मुकबधिर) कोटा के अंतर्गत पुन: आरक्षण का लाभ देते हुए कार्यपालन अभियंता के यहां पर पदोन्नती देकर विभाग ने अपने ऊपर एक अहसान और कर दिया है... जबकि इनके विरुद्ध न्यायालय में अनुपात हीन संपति जमा करने का वाद प्रगति पर है... जिससे विभाग के अन्य अधिकारियों में रोष व्याप्त है...। उक्त मामले को विधायक विक्रम मंडावी ने ध्यानाकर्षण में विधानसभा में उठाया भी था किन्तु प्रमुख अभियंता की मेहरबानी से जनाब आज भी उसी पद पर कायम है । छ: वर्षों तक जेल की हवा खाने वाले किसी शख्स को पदोन्नति देना शायद प्रमुख अभियंता की कोई मजबूरी रही हो या फिर प्रलोभन का उपहार मिला हो... ये तो वे ही जाने किन्तु मानना आलोक अग्रवाल की बुद्धि का पड़ेगा कि अपने बुद्धि कौशल का परिचय देते पूरे विभाग के उच्चाधिकारियों पर अपना शिकंजा कसा हुआ है।

बुलंद छत्तीसगढ़ ने लगातार जल संसाधन विभाग में श्रृंग कन्ट्रक्शन द्वारा हस्तगत कार्यों को छुपाने,किए जाने वाले नियम विरुद्ध कार्यों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है... मय प्रमाण के साथ... किन्तु छत्तीसगढ़ में साय के शार्गिदो (नौकरशाहों) ने अपने भगवान कहे जाने वाले विष्णुदेव को भी अंधेरे में रखा...। शार्गिदो (नौकरशाहों) के साथ ही भ्रष्ट ठेकेदारों के द्वारा तीरथ के राज में -चढ़ोत्री तो सिर्फ **केदार नाथ** के दरबार में चढ़ रही है ऐसी चर्चा आम है...। सभी जानते हैं कि देश के विकास और प्रगति पर भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किन्तु मानते नहीं, अपने बाप का क्या जाता है.. अपने को तो सरकारी नौकरी, मिली हुई है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा... सीट बदल दी जाएगी... विभाग तो वहीं रहेगा ना, अगर अपन ही इंतजाम अली हैं.. तो काम हमें ही करना है... जहाँ भी रहेंगे कर ही लेंगे। श्रृंग कन्ट्रक्शन अंबिकापुर द्वारा जल संसाधन विभाग में नियम विरुद्ध कार्य करते अब तक करोड़ों की चपत विभाग के खजाने को लगा चुका है... जिसमें विभाग के अधिकारी-कर्मचारी लिप्त हैं....

दुनिया भर के कई देश भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करते हैं किन्तु भारत एक ऐसा देश है जो इस भ्रष्टाचार के मकड़जाल में पूरी तरह ऐसा उलझा है कि उससे निजात दिलाना एक नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री से काम नहीं चलेगा... उनके साथ उनकी टीम कहे जाने वाले मंत्री,सांसद, ब्यूरोक्रेट (नौकरशाहों) सहित राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, और अफसर सहित एक-एक शासकीय-कर्मचारी को ईमानदारी की शपथ लेकर उस पर अमल करना होगा...। बुलंद छत्तीसगढ़ भले ही साप्ताहिक समाचार पत्र का रूप है किन्तु किसी बम से कम नहीं... जिसने जलसंसाधन विभाग में धमाके पर धमाका कर जल -संसाधन विभाग के अफसरों की जहाँ नींद उड़ा रखी है, वहीं भ्रष्टाचार में महारथ हासिल किए कार्यरत ठेकेदारों के चेहरों से वह मुखौटा भी उतार फेंका है जिसकी आड़ में वे अधिकारियों से मिलीभगत कर करोड़ों-अरबों का खेल करते आ रहे हैं...। ये ठेकेदार और उसका साथ देने वाले अधिकारी-कर्मचारी इतने मगरूर और बेशर्म हैं कि शासकीय धन का कैसे दुरुपयोग किया जाता है...? शासन के खजाने में कैसे डाका डाला जाता है...? उसके नस-नस से वाकिफ है...। श्रृंग कन्ट्रक्शन अंबिकापुर द्वारा जल-संसाधन विभाग में किए जाने वाले कार्यों की सुक्ष्मता से जाँच कर दी जाए तो ठेकेदार अमित जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों पर सीधे एफआईआर होकर जेल की हवा खानी होगी हांलाकि इससे उन्हें फर्क पड़ता नहीं है... क्योंकि इज्जत तो वे पहले ही, बेच खाए हैं... बेइज्जती का उन्हें डर है नहीं लेकिन सवाल उठता है कि कारवाई करेगा कौन...? हमने पहले ही लिख दिया है कि एक नरेन्द्र मोदी से काम चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो हमाम में सभी ?... हैं...। फिर कहवत भी है... से खुदा डरे... ऐसे में अकेले प्रधानमंत्री मोदी ही क्या कर लेंगे...।

बुलंद छत्तीसगढ़ साप्ताहिक समाचार पत्र में उनके द्वारा किए जा रहे काले कारनामों को लगातार प्रकाशित करता रहा है... जिन अधिकारियों से अपेक्षा थी कि उक्त ठेकेदार अमित जायसवाल पर कार्रवाई होगी बजाए कार्यवाही के विभाग के संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उसे ही सहयोग देने लग गए... बुलंद छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज पांडे ने कार्यवाही ना होते देख श्रृंग कन्ट्रक्शन अबिकापुर द्वारा किए जाने वाले नियम विरुद्ध कार्य जिसमें हस्तगत कार्यों को छुपाकर विभाग से फर्जीवाड़ा कर टेंडर लेने की शिकायत मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, प्रमुख अभियंता जलसंसाधन,सामान्य प्रशासन, ईओडब्ल्यू, विभागीय मंत्री को अपने पत्र 11/11/2024 के माध्यम से की... इतना ही नहीं... 10/12/2024 को ध्यानाकर्षण में विधायक विक्रम मंडावी ने उक्त विषय को विधानसभा में भी उठाया... प्रश्न का जवाब तो मिला नहीं... किन्तु मामले की गंभीरता और विभाग एवं सरकार की छीछा लेदर होते को देख अवर सचिव प्रेम सिंह धरेन्द्र 27/01/2025 को प्रमुख अभियंता के पत्र संदर्भ का हवाला देते एक ऐसा पत्र जारी किया कि पुराने नियम को बदलकर ठेकेदार को बचाने का नायाब तरीका खोज निकाला... जबकि नियमत: हस्तगत कार्यों को छुपाकर निविदा द्वारा लेने वाले कार्यों के एवज में ठेकेदार अमित जयसवाल को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) डालना था जिससे भविष्य में वह काम करने लायक नहीं रहता...। उसकी सुरक्षा निधि को राजसात करने का आदेश देना था। उस ठेकेदार के खिलाफ एकआरआई करने का आदेश जारी करना था...? अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा संशोधन अवर सचिव स्तर का है...।

अवर सचिव द्वारा नियम संशोधन को मान भी लिया जाए तो भविष्य में निकलने वाले निविदा पर लागू होगा। जिस ठेकेदार द्वारा नियम विरुद्ध हस्तगत कार्यों को छुपाकर कार्य लिया गया उस पर कैसे लागू किया जा सकता है... किन्तु अवर सचिव ने रसूखदार कांग्रेसी ठेकेदार को बचाने उस संशोधन में दो लाईन और जोड़ दी कि उक्त संशोधन विभाग में लंबित अथवा विचाराधीन प्रकरणों में भी लागू होगा...जो स्पष्ट संकेत देता है, कि बिना किसी के कहे अवर सचिव इतना बड़ा जोखिम उठा सकते है... कलम फंस गई अवर सचिव की... चढ़ोत्री कहीं और चढ़ गई... विष्णु की लक्ष्मी नारायण-नारायण करते रह गई बेचारी...।

सवाल लाख का... क्या श्रृंग कंसट्रक्शन के ठेकेदार अमित जायसवाल पर कड़ी कार्यवाही होगी...? क्या ठेकेदार को बचाने वाले अधिकारी-कर्मचारी बक्से जाएंगे...? विधानसभा में उठाए जाने वाले प्रश्न के एवज में 14 लोगों पर की गई कार्यवाही में 9 श्रृंग कंसट्रक्सन के ही कार्य है... उन्हें छोड़ दिया जाएगा या उनका कार्य बदस्तूर जारी रहेगा...? क्या विधानसभा की अवमानना जलसंसाधन के अधिकारियों ने नहीं की... अगर की तो उन पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी...? देखना है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन कहे जाने वाले राज में भ्रष्टाचार का खेल बदस्तूर जारी रहता है या भ्रष्टाचार को बरदास्त ना करने वाली सरकार श्रृंग कंसट्रक्शन के ठेकेदार अमित जायसवाल पर कड़ी कार्यवाही कर अपनी ईमानदारी का परिचय देकर अपनी दामदार छवि साफ करती है...।

मामला श्रृंग कंस्ट्रक्शन द्वारा दर्जनों योजनाओं में विभाग से एग्रीमेंट करने के बाद एपीएस की राशि निकालने व वर्क इन हैंड छुपाने का

सिस्टम से खेलता कांग्रेसी ठेकेदार

गजब की सरकार गजब के अधिकारी ऐसे ही किसी ने किसी राजा के शासन में उक्त कहावत को कहकर उस राजा को आईना दिखाया यह कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भॉजी टका सेर खाजा... उक्त कहावत जलसंसाधन विभाग के अधिकारी से लेकर विभागीय राजा पर बिल्कुल फिट बैठती है ।

श्रृंग कंस्ट्रक्सन द्वारा प्रदेशभर में चल रहें एनिकट/स्टांप डेम और अन्य योजनाओं में विभाग द्वारा एग्रीमेंट करने के बाद एपीएस (एफडीआर) की राशि निकालने के साथ ही झूठे शपथ- पत्र और हस्तगत कार्यो को छिपाकर करोड़ों रूपये के टेंडर में जमकर गुणवत्ताविहीन कार्य करने के बावजूद जल संसाधन विभाग कार्यवाही करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है...।

ठेकेदार अमित जायसवाल के मुठ्ठी में सिंचाई विभाग

काम किए बगैर पीसवर्क का बिल बनवाने में माहिर

टेंडर में सप्लीमेंट्री बिल बनवाने में माहिर

APS(FDR) की राशि निकालने में माहिर

वर्क इन हैंड छिपाकर टेंडर लेने में माहिर

फर्जी PQ सर्टिफिकेट बनवाने में माहिर

APS (FDR) की राशि और वर्क इन हैंड छिपाकर टेंडर लेने एवं सप्लीमेंट्री बिल बनाने का क्या है खेल, पढ़े आने वाले अंकों में ...